

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4811
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की कमी

†4811. श्री खलीलुर रहमान:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में पर्याप्त प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की कमी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा यह कमी कितनी है; और
- (ग) सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार, देश में लगभग 38.49 लाख नर्सिंग कर्मी पंजीकृत हैं। नर्स-जनसंख्या अनुपात लगभग 2.20 नर्स प्रति 1000 जनसंख्या है। देश में लगभग 5299 नर्सिंग संस्थान हैं जो सालाना लगभग 3.82 लाख नर्सिंग कर्मी तैयार करते हैं।

देश में नर्सिंग कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ सक्रिय कदम इस प्रकार हैं:-

- (i) सरकार ने वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना "नर्सिंग शिक्षा का संवर्धन - मेडिकल कॉलेजों सहित नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना" को मंजूरी दी है।
- (ii) केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'नर्सिंग सेवाओं का विकास' के तहत नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कॉलेजों में उन्नयन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- (iii) पहाड़ी क्षेत्रों में नर्सिंग शिक्षण संस्थानों के बीच की दूरी 10 किमी से घटाकर 5 किमी कर दी गई है।
- (iv) पहाड़ी क्षेत्रों में अस्पताल और संस्थान के बीच अधिकतम दूरी 50 किमी हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में यह 30 किमी है।

- (v) नर्सिंग शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए छात्र-रोगी अनुपात को 1:5 से 1:3 तक शिथिल कर दिया गया है।
- (vi) नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि की आवश्यकता को 3 एकड़ से शिथिल कर स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए छात्रावास सहित 54,000 वर्ग फीट के भवन का निर्माण किया जा सकता है।
- (vii) जीएनएम और बीएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए 2013-2014 से 100 बिस्तरों वाला मूल अस्पताल आवश्यक है। हालांकि, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसमें छूट दी गई है।
- (viii) बीएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए शिक्षण संकाय के मानदंडों में निम्नानुसार छूट दी गई है:
- कम से कम 2 एमएससी (नर्सिंग) संकाय उपलब्ध होना चाहिए
 - नर्सिंग शिक्षकों की योग्यता और अनुभव में छूट दी गई है।
- (ix) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्नातक कार्यक्रम के बिना एमएससी (नर्सिंग) शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, एमएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए छात्र शिक्षक अनुपात 1:5 से 1:10 तक छूट दी गई है।
- (x) नर्सिंग में संकाय के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है।
- (xi) आईएनसी ने नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत सीटों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 300 कर दी है।
